

फर्द अहकाम
(नियम-26)

2018/00414

अज अदालत

उप जिला कलक्टर

मुकाम न्याय आप के द्वार 2018

दलीप सिंह - किसान सिट्टे
70MP

बनाम काका

किस्म मुकदमा दुरुस्ती

मुकदमा नं. 195
28/6/18

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28/6/18	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक/18/502 दिनांक 28/6/18 के द्वारा राजस्व लोक अदालत "न्याय आप के द्वार-2018" कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत पगीचा में प्रार्थीगण के नाम चक 70MP की जमाबन्दी सम्वत 2068-72 के खाता नं. 19 में खातेदार दलीप सिंह - किसान सिट्टे नं. 33MP का अंकित है। जिसका निमा 70MP है। जिसकी दलीप सिंह - किसान सिट्टे नं. 33MP के खातेदार 70MP की दुरुस्ती की जाने की अभिशंषा की है।</p> <p>उक्त प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक 28/6/18 की पृष्टि मजमआम में उपस्थित ग्राम वारिसान व सरपंच ने की है। उक्त विवेचन के आधार पर वाके चक 70MP के खाता नं. 19 में दर्ज खातेदार दलीप सिंह - किसान सिट्टे नं. 33MP के खातेदार 70MP की दुरुस्ती की जाती है। बाकी अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>आदेश खुले मजमआम में सुनाया गया।</p>	

राजस्व लोक अदालत
न्याय आप के द्वार-2018
कैम्प कोर्ट पगीचा
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर